डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

Reply to Original Application

No. 2018/HQ/Admin/RTI-109 New Delhi: 27.03.2018

Shri Ramavtaar
S/o Sh. Lalaram
Village Adhiyapur
Mauza Adhiyapur
Teh.- Jaswantnagar
Distt.- Etawa, UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Original Application dated 20.02.18 received on 26.02.18 from Shri Ramavtaar.

Information i. r. o. your above RTI application, as received, is attached as Annex "A".

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

Copy to:

CPM/Tundla : For information & Record only

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेषन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A) **दिनांक:- 19.03.2018**

DGM/PIO
DFCCIL
New Delhi

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री रामऔतार पुत्र श्री लालाराम निवासी- ग्राम अधियापुर तहसील- जसवंतनगर जनपद- इटावा, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- I आपके पत्र संख्या 2018/HQ/ADMIN/RTI-109 दिनांक 28.02.2018.
II उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर के पत्र सं. CNB/EN/CA(iii) दिनांक- 17.03.2018.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I में श्री रामऔतार पुत्र श्री लालाराम निवासी- ग्राम अधियापुर तहसील- जसवंतनग जनपद- इटावा, की जानकारी के लिया RTI प्राप्त हुई इसकी जानकारी हेतु उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपु को निर्देशित किया गया | सन्दर्भित पत्र सं. II के तहत उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर से जो जानकारी प्राप्त हुई वह निम्नलिखित है:-

"इस इस सम्बन्ध में प्रचलित पद्ती के अनुसार, अवगत कराना है कि रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णय में गाटे के अधिसूचित रकबे में से जिस आंशिक भाग को बहिष्कृत कर दिया गया तथा उसे राजस्व अभिलेखों में भारत सरकार के पक्ष में नामांकन नहीं कराया गया है और न ही प्रतिक घोषित/वितरित किया गया है | ऐसी भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार सम्बन्धित भूस्वामी का ह है | सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के पर/अनुपालन होने पर तदानुसार स्थिति भिन्न हो सकती है | इसके अतिरिक्त कोई सूचना इस कार्यालय द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है | ऐसी स्थिति में कदाचित मुख्यालय नई दिल्ली से ही परामर्श प्राप्त किया जा सकता है |"

(सुभाष चंद्रा)
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला

प्रतिलिपि:- उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर को सूचनार्थ हेतु |